UPET010048922025

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा।
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिल, एच.जे.एस. जे.ओ.कोड–यू.पी. 2751
डब्लू.एस.सी.सी. सं0–202/2025
विकास कुमार बनाम गोरीशंकर आदि

09.04.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पूर्व तिथि पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को बहस तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

संक्षेप में परिवादपत्र के कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी विकास कुमार पुत्र विद्याराम निवासी–जिटौली थाना निधौली कलां जिला एटा का निवासी है। दिनांक 22.07.2025 समय करीब 05 बजे शाम की है। मौ० कछियाना पर अपनी पत्नी के साथ खेत पर था उसी समय प्रार्थी के खेत पर बन्टू उर्फ टिन्कू अपने साथ पांच लोगों को लेकर आया जिनके नाम गोरीशंकर पुत्र गोकुल सिंह, जयवीर सिंह, मानपाल पुत्रगण गौरीशंकर, गौरव पुत्र जयवीर, देवेन्द्र पुत्र रामस्वरूप है। उपरोक्त सभी लोग प्रार्थी के खेत पर आकर प्रार्थी को गाली देने लगे और कहा कि साले तूने हमारा खेत यहाँ क्यो खरीदा है तुझे हम यहाँ खेत नहीं करने देंगे। प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त सभी लोग एकराय मशविरा होकर प्रार्थी की मारपीट करने लगे प्रार्थी की पत्नी अर्चना प्रार्थी को बचाने आयी तो उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर बेइज्ज़ती करने के आशय से अर्चना के कपड़े फाड़ दिये और उसके गले में पड़ी सोने की चैन तोड़ ली। बन्टू ने प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से चाकू से प्रहार किया प्रार्थी ने इसका बचाव किया तो वह पेट में न लग के बाजू में लगा। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी की चीखपुकार की आवाज सुनकर जगदीश पुत्र श्री लाखन सिंह, सोनू कुमार पुत्र संसार सिंह व प्रभा देवी पत्नी जगदीश कुमार व आस पड़ोस के बहुत से लोग मौके पर आ गये जिन्होंने घटना देखी। प्रार्थी व उसकी पत्नी को मुल्जिमानों से बचाया। उपरोक्त मुल्जिमान आइन्दा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी इस घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना निधौली कलॉ गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुल्जिमानों की थाने पर साठ–गाठ होने के कारण प्रार्थी को टालमटोल करते रहे। प्रार्थी दिनांक 24.07.2025 को एटा आया और आपवीती घटना की रिपोर्ट टाइप कराकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को रजिस्ट्री भेजी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब यह परिवाद श्रीमान जी के यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। मुल्जिमानों का यह अपराध धारा 115(2),352,351(2)(3),76,310(2), बी०एन०एस० की हद तक पहुँचता है। अतः उपरोक्त परिवाद में साक्ष्य लिया जाकर उपरोक्त मुल्जिमानों को तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में स्वयं को अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में तथा बयान अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. साक्षी पी0 डब्लू–1 के रूप में जगदीश कुमार, पी०डब्लू०–2 के रूप में सोनू, पी०डब्लू०–3 के रूप में रूपकिशोर व पी०डब्लू०–04 के रूप में कुमारी अर्चना को परीक्षित कराया गया है।

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.04.09 16:27:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिवादी की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति मय असल रजिस्ट्री रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति एवं चोट के संबंध में चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किये है।

विपक्षीगण की ओर से आपत्ति कागज सं० 16ब प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा जो परिवाद आपत्तिकर्तागण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है वह जमीनी रंजिश व चुनावी पार्टीबन्दी के कारण प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। आपत्तिकर्तागण द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वर्णित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है जो साक्षी परिवादी द्वारा धारा–225 बी०एन०एस०एस० के तहत परीक्षित कराये गये हैं उनमें अर्चना परिवादी की पत्नी है तथा जगदीश पुत्र लाखन सिंह व सोनू पुत्र संसार सिंह द्वारा प्रधानी की चुनावी रंजिश के कारण परीक्षित कराये हैं। कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष जनसाक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। इस आधार पर भी परिवादी का परिवाद खारिज होने योग्य है। आपत्तिकर्तागण एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। प्रधानी के चुनाव में जगदीश पुत्र लाखन सिंह की भाभी तथा सोनू पुत्र संसार सिंह की माँ भूदेवी प्रधानी का चुनाव लड़ी थीं तथा इसी चुनाव में गौरीशंकर की पुत्रवधू व मानपाल की भाभी व गौरव कुमार की माँ बन्टू उर्फ रिन्कू व देवेन्द्र कुमार की परिवारी तथा जयवीर की पत्नी श्रीमती प्रेमवती भी चुनाव लड़ी थी जो विजयी घोषित हुई तथा वर्तमान में ग्राम प्रधान है। इसी रंजिश के कारण जगदीश व सोनू द्वारा उपरोक्त परिवाद में अपना बयान अंकित कराया है तथा इन्हीं लोगों द्वारा आपत्तिकर्तागण को समाज में नीचा दिखाने के लिहाज से विकास कुमार से गलत तथ्यों के आधार पर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। रेखा देवी पत्नी मनोज कुमार निवासी नगला किला, थाना–निधौली कलां, जिला–एटा द्वारा एक मुकदमा अ०सं०–166/2025, अन्तर्गत धारा–76, 115(2), 352, 351(2), 324(4) बी०एन०एस०, थाना–निधौली कलॉ जगदीश पुत्र लाखन सिंह व विद्याराम पुत्र नामालूम के विरूद्ध दर्ज कराया गया था, जिसमें जगदीश पुत्र लाखन सिंह के गाँव का पता ग्राम जिटौली कम्प्यूटर की गलती से लिख गया जबकि इसका पता मौहल्ला कछियाना कस्वा व थाना–निधौली कलॉ, जिला–एटा है जो उपरोक्त परिवाद में साक्षी के तौर पर धारा–225 बी०एन०एस०एस० के तहत अपना बयान अंकित कराया है तथा जो अभियुक्त विद्याराम है वह परिवादी विकास कुमार का पिता है। उपरोक्त मुकदमा में फैसले के लिये दबाव बनाने हेतु झूठा मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मु०अ०सं०–166/2025, अन्तर्गत धारा–76, 115 (2), 352, 351(2), 324(4) बी०एन०एस०, थाना–निधौली कलॉ की वादिया रेखा देवी के पति मनोज कुमार की मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है। सामाजिक परम्परा के अनुसार उपरोक्त रेखा देवी, बन्टू उर्फ टिन्कू पुत्र देवेन्द्र जो परिवाद में विपक्षी सं०–2 है की पत्नी के रूप में उसके साथ रह रही है जो एफ०आई०आर० जगदीश व विद्याराम के विरूद्ध थाना–निधौली कलॉ पर रेखा देवी द्वारा दर्ज करायी गयी थी उसमें घटना का दिनांक–23.07.2025 समय करीब 9:00 बजे सुबह का दर्शाया है। इससे बचने के लिए परिवादी द्वारा अपने परिवाद में घटना का दिनांक–22.07.2025 समय करीब 5:00 बजे शाम दर्शाया है, जिससे परिवादी की कथित घटना रेखा देवी द्वारा लिखाये गये घटना के पूर्व का बनाने का प्रयास किया गया है जो नितान्त ही मनगणन्त व झूठी है। रेखा देवी द्वारा लिखायी गयी एफ०आई०आर० से बचने के लिये झूठी कहानी बनाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। जिस खेत को परिवादी विकास कुमार अपना बताता है उसके सम्बन्ध में रेवेन्यू न्यायालय व सिविल जजी में मुकदमें विचाराधीन हैं, जिनकी छायाप्रतियों आपत्ति के साथ संलग्न हैं। रेखा देवी द्वारा मुकदमा अ०सं०–166/2025 को अभियुक्तगण जगदीश व विद्याराम के विरूद्ध घटना के दिनांक–23.07.2025 की दर्शाते हुए एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी, जिसकी जानकारी होने पर अभियुक्तगण विद्याराम व जगदीश ने आपस में सलाह मशविरा करके तथा विधिक राय

लेकर विकास कुमार से एक झूठी घटना दिनांक–22.07.2025 की दर्शाते हुए झूठा परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो हर आइने खारिज होने योग्य है।

विपक्षीगण की ओर से अपनी आपत्ति प्रार्थनापत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में शपथपत्र, मु०अ०सं०–166/2025 अंतर्गत धारा 76, 115(2), 352, 351(2), 324(4) बी.एन.एस.के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, न्यायालय सिविज जज(जू०डि०) एटा में पंजीकृत मूलवाद सं०–491/2023 की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

परिवादी की ओर से विपक्षीगण की आपत्ति के विरोध में जवाब कागज सं०–17ब प्रस्तुत कर विपक्षीगण की आपत्ति में किये गये कथन को मनगढ़न्त व नितान्त झूठे होना बताया तथा अपने प्रार्थनापत्र/परिवाद पत्र का समर्थन किया गया तथा विपक्षीगण को तलब किये जाने की याचना की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी ने धारा 223बी.एन.एस.एस. के बयानों में परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा कथन किया है कि घटना 22–07–2025 के शाम 5 बजे की है। मैं घटनास्थल पर मौजूद था। घर से 8 किलोमीटर दूर खेत पर खेती करने गया था। गौरी शंकर, बंटू, देवेन्द्र, जयवीर, मानपाल और गौरव पैदल आये। बंटू के हाथ में चाकू तथा अन्य लोग खाली हाथ आये थे। सभी लोग खेत पास मकान से लाठी डंडे ले लिए थे। इन लोगों ने मुझे तथा मेरी पत्नि को लाठी डंडे मारा पीटा। मैं सरकारी हॉस्पीटल, एटा में दिखाया था। भर्ती नहीं रहा था। मेरे पत्नी के इन लोगों ने कपड़े भी फाड़ दिया। इन लोगों ने मेरी पत्नि के चेन तोड़कर ले भागे। थाने वाले व कप्तान ने सुनवाई नहीं की।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह घटनाक्रम जमीनी विवाद के कारण होता प्रतीत होता है। जिसके संबंध में पत्रावली पर दस्तावेज उपलब्ध है तथा विपक्षीगण के द्वारा भी मय शपथपत्र इसकी पुष्टि की गई है। पत्रावली पर विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होना नहीं प्रतीत होता है। विपक्षीगण को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)

दिनांक–09.04.2026 **विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)**

एटा।